न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 71/2016

शीर्षक

1. रेखा पि0 माना जाति माली निवासी धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नी मांगू
2. रामप्यारी पुत्री मांगू
3. गीता देवी पुत्री मांगू
4. संतोष देवी पुत्री मांगू
5. बसंती देवी पुत्री मांगू
6. लालू पि0 श्योनारायण
7. ग्यारसा पि0 श्योनारायण
8. रामनारायण पि0 माना
9. श्रीमती बिरदी देवी पत्नी लल्लूराम उर्फ लालू
   समस्त जाति माली निवासी धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक, उप तहसील अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 25-8-22

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संक्षेप में निम्न प्रकार है हाल आराजी खसरा नम्बर 2147, 2149, 2224, कुल किता 03 रकबा 0.18 है0 वाकै ग्राम धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।

2. उक्त आराजीयात में वादी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 हिस्सा 1/6 के खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 8 हिस्सा 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा हिस्सा 7/12 जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.12.2013 को पंजीबद्ध किया गया है।
3. यह है कि उपरोक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कभी कोई बंटवारा नही हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण सम्मिलित में कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 भूमाफिया किस्म के व्यक्ति है। दिनांक 16.12.2013 को विवादित भूमि पर अजनबी क्रेतागण को साथ लेकर आये विवादित भूमि की सीमाये बेचने के उदेश्य से दिखाने लगे। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया कि उक्त भूमि का विधिवत तकास्मा नही हुआ है आपको किसी भी भू भाग को बिना बंटवारा कराये बेचने व पुख्ता निर्माण करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 ने स्पष्ट शब्दों में मना किया और कहा हम बिना बंटवारा कराये ही बेचान करेगें व निर्माण कार्य करवायेगे। इस कारण प्रतिवादीगण के शामिल में रहकर काश्त करना संभव नही है। इस कारण वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।
4. अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2147, 2149, 2224, कुल किता 03 रकबा 0.18 है0 वाकै ग्राम धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का विधि अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबंद फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से वकील प्रतिवादीगण उपस्थित आये। दिनांक 27.06.2018 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात मंगवाये गये। दिनांक 11.03.2022 को तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात प्राप्त हुये बटवारा रिर्पोट पर वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति पेश करने हेतु अवसर चाहा वकील प्रविादीगण को आपत्ति पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। वकील प्रतिवादीगण ने बंटवारा कुर्रेजात पर कोई आपत्ति पेश नही की गई। बंटवारा रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष ने अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बटवारा रिपोर्ट मौका स्थिति अनुसार तैयार की गई है।

अतः बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 2147, 2149, 2224, कुल किता 03 रकबा 0.18 है0 वाकै ग्राम धवली

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर)

तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. ग्यारसा, लालू पि0 श्योनारायण हिस्सा 2/3, गुलाब देवी पत्नी मांगू हिस्सा 1/15, गीता देवी, बसंती देवी , रामप्यारी देवी, संतोष देवी पुत्रीयान मांगू हिस्सा 4/15 के बंटवारे में आराजी खसरा नम्बर 2224/1 रकबा 0.06 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी।

2. रेखा, रामनारायण पि0 माना के बंटवारे में आरजी खसरा नम्बर 2224/2 रकबा 0.06 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

3. ग्यारसा, लालू पि0 श्योनारायण हिस्सा 1/3, गुलाब देवी पत्नी मांगू हिस्सा 1/30, गीता देवी, बसंती देवी , रामप्यारी देवी, संतोष देवी पुत्रीयान मांगू हिस्सा 2/15 , रेखा, रामनारायण पि0 माना हिस्सा 1/2 के बंटवारे में आरजी खसरा नम्बर 2147 रकबा 0.02 है0, आराजी खसरा नम्बर 2149 रकबा 0.04 कुल किता 2 रकबा 0.06 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-8-20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 5

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 71/2016

शीर्षक

1. रेखा पि0 माना जाति माली निवासी धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नी मांगू
2. रामप्यारी पुत्री मांगू
3. गीता देवी पुत्री मांगू
4. संतोष देवी पुत्री मांगू
5. बसंती देवी पुत्री मांगू
6. लालू पि0 श्योनारायण
7. ग्यारसा पि0 श्योनारायण
8. रामनारायण पि0 माना
9. श्रीमती बिरदी देवी पत्नी लल्लूराम उर्फ लालू
   समस्त जाति माली निवासी धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक, उप तहसील अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 25-8-2022

अतः बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 2147, 2149, 2224, कुल किता 03 रकबा 0.18 है0 वाकै ग्राम धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. ग्यारसा, लालू पि0 श्योनारायण हिस्सा 2/3, गुलाब देवी पत्नी मांगू हिस्सा 1/15, गीता देवी, बसंती देवी , रामप्यारी देवी, संतोष देवी पुत्रीयान मांगू हिस्सा 4/15 के बंटवारे में आराजी खसरा नम्बर 2224/1 रकबा 0.06 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी।
2. रेखा, रामनारायण पि0 माना के बंटवारे में आरजी खसरा नम्बर 2224/2 रकबा 0.06 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. ग्यारसा, लालू पि0 श्योनारायण हिस्सा 1/3, गुलाब देवी पत्नी मांगू हिस्सा 1/30, गीता देवी, बसंती देवी , रामप्यारी देवी, संतोष देवी पुत्रीयान मांगू हिस्सा 2/15 , रेखा, रामनारायण पि0 माना हिस्सा 1/2 के बंटवारे में आरजी खसरा नम्बर 2147 रकबा 0.02 है0, आराजी खसरा नम्बर 2149 रकबा 0.04 कुल किता 2 रकबा 0.06 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-8-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	